

प्रेषक,

ग्रन्थ प्रबन्ध अनुदान  
संघर्ष समिति  
उत्तर प्रदेश विधानसभा ।

सेवा में,

ग्रन्थ प्रबन्ध समिति कार्यालय,  
ग्रन्थ प्रबन्ध संघर्ष समिति  
उत्तर प्रदेश विधानसभा ।

शिक्षा २७५ अनुभाग

लखनऊ: दिनांक ८८ अगस्त, २००५

विषय:- नामनाम शिक्षण संचार उत्तरपूर विधानसभा, उत्तर प्रदेश की शिक्षण और अनापत्ति प्रबन्ध पर इसे बढ़ाव दिया जाए विषय ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **शिक्षण संघर्ष समिति** नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- १। विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- २। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नाप्रिय स्क सदस्य होगा ।
- ३। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- ४। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की पाँग नहीं की जायेगी और यहि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्यामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायें ।

- १५। संस्था के शैक्षिक सर्वं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण नंस्थार्में के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं हिधे जाएगें ।
- १६। कर्मचारियों की सेवा पर्ति बनायी जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जाएं ।
- १७। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जाएंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- १८। विद्यालय सिलार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जाएगा ।
- १९। उक्त इतों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जाएगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिक्षितता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा ।

भवदीय,

**। यित्र प्रकाश ग्रन्त ।  
संयुक्त संघ ।**

प्र० सं० एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, ३०प०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, नान्दा शिक्षण संस्थान उथनपुर, शाहाबाद, हरदोई ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञानीय,

**। यित्र प्रकाश ग्रन्त ।  
संयुक्त संघ ।**